अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री जुल्फिकार
2. अधिवक्ता अप्रार्थी श्री तिलकराज चुघ

निर्णय

दिनांक: 21.12.2017

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट के दादा भागे खां के नाम से तहसील घड़साना के चक 8 जेड.डब्लयू.एम. का मु.नं. 170/42, 170/50, 170/52, 170/53, 191/27, 191/19, 191/20 की कुल 8.551 हैक्टेअर (34 बीघा) अनकमांड भूमि आवंटन हुई थी। भागे खां की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त रकबा का इन्तकाल जलाल खां, कमाल खां, सोना खां पिसरान भागे खां एवं अपीलांट के चाचा सन्तु खां के लड़के गुलाम कादर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है। अपीलांट का ताउ कमाल खां अपने जीवनकाल में कुंवारा ही मर गया था, बाद में सन्तु उर्फ सदु एवं सोना खां की भी मृत्यु हो गई। अपीलांट के पिता जलाल खां की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट व उसका परिवार एवं अपीलांट का भाई ताउ बेटा वेदबक्श पुत्र गुलाम कादर ने फर्जी एवं कूटरचित वसीयत तैयार कर प्रार्थी के ताउ की कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत कर इंतकाल अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया।
2. अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के ताउ के वारिसान का कब्जा काश्त है अपीलांट द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 68/13 में जवाब भी पेश किया गया था, जिसमें तहसीलदार को निवेदन किया गया था कि विवादित वसीयत में वाके चक 8 जेड.डब्ल्यू. एम. के मु.नं. 170/42, 170/50, 170/52, 170/53, 191/27, 191/19, 191/20 की कुल 8.551 हैक्टेअर (34 बीघा) का हवाला ही वसीयतकर्ता द्वारा नहीं दिया गया है इसलिए वसीयत शुन्य प्रभाव से खारिज की जावे। अपीलांट द्वारा तहसीलदार को यह भी निवेदन किया गया था कि तथाकथित वसीयत दिनांक 08.07.1992 की वसीयत का प्रार्थी वेदबक्श एक बार लाभ ले चुका है, क्योंकि वसीयत में चक 2 एस टी वाई के मु. नं. का हवाला दिया गया है, लेकिन वेदबक्श पुनः उसी वसीयत का लाभ वाके चक 8 जेड डब्ल्यू एम का फायदा उठाना चाहता है, जो सरासर गलत है। अपीलाधीन भूमि पर आज भी मौका पर अपीलांट व अपीलांट के ताउ के वारिसान की फसल काश्त की हुई है, लेकिन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व कब्जा की जांच नहीं की गई है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास उक्त समस्त भूमि का कब्जा भी नहीं है कब्जे का बिन्दु जो कि इंतकाल दर्ज करने का अहम बिन्दू होता है, जिसकी अनदेखी की जाने से आलोच्य इंतकाल प्रथम दृष्टया ही शून्य है।
3. यह कि अवाप्ताधीन भूमि अपीलांट एवं मृतक के वारिसान के कब्जा काश्त में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। आलोच्य इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करवायी गयी। भूमि का इन्तकाल फर्जी वसीयत एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर स्वीकार किया गया। मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

...रिश प्रमाण पत्र की जाँच नहीं करवायी गयी। आलोच्य इंतकाल का अपीलांट को ईल्म होने पर ही अपीलांट ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तत्पश्चात् अपीलांट ने उक्त आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 12.03.2014 को हासिल की। अपील अपीलांट ईल्म के रोज से अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

4. अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। जरिये सम्मन रेस्पोडेन्ट तलब किये गये।

5. वकील अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील तहसीलदार, घड़साना के आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरूद्ध पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वंय पेश हुआ, जिसके द्वारा दिनांक 23.09.2013 को इंतकाल की कार्यवाही में अपना जवाब भी पेश किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विवादित प्रश्नों का अवधारण कर तहसीलदार द्वारा इंतकाल की कार्यवाही अगर की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आदेश की अपील माननीय संभागीय आयुक्त को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट भी इंतकाल की कार्यवाही में प्रस्तुत हुआ एवं अपना जवाब पेश किया है, ऐसी स्थिति में अपील इसी स्तर पर उक्त कानूनी बिन्दु के प्रकाश में निरस्त किये जाने योग्य है। सुनवाई के दौरान वकील अपीलांट ने एक प्रार्थना–पत्र धारा आदेश 7 नियम 10 सहपठित 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घड़साना तहसीलदार ने अपना निर्णय दिनांक 05.03.2014 दोनों पक्षों की सुनवाई करके, फिर भी अपनी मर्जी करते हुये गैर कानूनी रूप से नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मुस्लिम कानून के विरुद्ध एवं तथाकथित नियम के विरूद्ध वसीयत दिनांक 08.07.1992 जिसमें इस चक व रकबे का विवरण तक नहीं था, ना ही वसीयत में रकबे का हवाला था, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर वसीयत का नामांतरण के आदेश पारित कर दिये। हस्तगत प्रकरण जैरकार अपील सहवन से सद्भाविक भूल के कारण अपील न्यायालय में पेश की गयी है। चूंकि अपील न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं आती है, इसलिए अपील अपीलांट लौटायी जावे एवं माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. हमने वकुलाये बहस सुनी एवं वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 10 सहपठित 151 सीपीसी का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट अपील माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिए इसी स्तर पर प्रकरण में निस्तारण किया जाना उचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट को क्षेत्राधिकार के अनुरूप अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र किया जाता है। निर्णय की प्रति मय रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.2017

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner